

मध्यप्रदेश विधान सभा एवं विधान सभा सचिवालय
वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन चार्ट

क.	कार्य बिन्दु विवरण	वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारी एवं उनके पदनाम के खाने में उन्हें वंटित बिन्दुवार वित्तीय शक्तियों की विनिश्चय सीमा					
		प्रमुख सचिव	सचिव	अपर सचिव	उप सचिव/ संचालक	अवर सचिव/ समकक्ष प्रथम श्रेणी	अभ्युक्ति
1.	नवीन टेलीफोन,इंटरकॉम / इपीबीएक्स/ पीबीएक्स/ पीएबीएक्स इंटरनेट,फेक्स, मोबाईल के संस्थापन एवं पुनर्स्थापन,प्रभार तथा विस्तार यंत्र उपकरणों के क्रय की स्वीकृति.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	—	—	—	—	
2.	नवीन टेलीफोन,इंटरकॉम / इपीबीएक्स/ पीबीएक्स/ पीएबीएक्स इंटरनेट,फेक्स, मोबाईल के संस्थापन पुनर्स्थापन, एवं अनुरक्षण सेवा संविदा वार्षिक प्रभार के भुगतान, विस्तार यंत्र उपकरणों के क्रय एवं किराये/भाडे/ प्रभार का भुगतान,दूरभाष देयको का भुगतान.दूरभाष के प्लग,सर्किट एवं लॉग कार्ड का भाडा.दूरभाष अंतरण की स्वीकृति एवं प्रभार.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	बजट प्रावधान के अंतर्गत रु0 50,000/— की सीमा तक	बजट प्रावधान के अंतर्गत रु025,000/—की सीमा तक	बजट प्रावधान के अंतर्गत रु. 10,000/—की सीमा तक	
3.	टेलीफोन,इंटरकॉम / इपीबीएक्स / पीबीएक्स/ पीएबीएक्स इंटरनेट,फेक्स, मोबाईल के मरम्मत संबंधी कार्य की नियंत्रणकर्ता अधिकारी (सचिव)द्वारा स्वीकृति उपरान्त देयको का भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	बजट प्रावधान के अंतर्गत रु0 25,000/— की सीमा तक	बजट प्रावधान के अंतर्गत रु015,000/—की सीमा तक	बजट प्रावधान के अंतर्गत रु. 10,000/—की सीमा तक	
4.	टेलीप्रिंटर /समाचार प्रसारण सेवाओं को टेलीप्रिंटर सर्विस की स्वीकृति एवं विनिश्चित दर के अनुसार भाडा/प्रभार भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 25,000/— सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 15,000/— सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 10,000/— सीमा तक	
5.	स्वीकृति अनुसार छायाकन,फिल्मांकन,वीडियोग्राफी पर व्यय एवं फोटो, /फोल्डर/कैटलॉग/एलबम /केसेट्स/टेपस/फिल्म/सीडी/ डीवीडी/ उपकरण क्रय /फोटो फ्रेमिंग /लेमीनेशन/ फोटो परिचय पत्र पर व्यय /निविदा/विज्ञप्ति प्रकाशन पर व्यय.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 25,000/— सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 15,000/— सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 10,000/— सीमा तक	

6.	माननीय अध्यक्ष/नेताप्रतिपक्ष/ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव,/सचिव द्वारा विधायकों एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों को शासकीय कार्यवश भेंट/बैठक के अवसर पर चाय, काफी,शीतल पेय और स्वल्पाहार तथा भोजन प्रभार	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन कोई भी सीमा तक	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 15,000/- की सीमा तक	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 10,000/-की सीमा तक	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 5,000/-की सीमा तक	भोजन प्रति व्यक्ति अधिकतम रु0. 300/- (निरामिष) रु0. 350/- (सामिष) स्वल्पाहार अधिकतम 75/- प्रति व्यक्ति(विशिष्ट) एवं रु0. 50/- प्रति व्यक्ति अधिकतम(सामान्य) या अनुमोदित दर अनुसार
7.	विधान सभा /विधान सभा सचिवालय की विभिन्न समितियों की बैठकों के समय शीतल/उष्ण पेय/स्वल्पाहार आदि पर व्यय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन कोई भी सीमा तक	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 10,000/- की सीमा तक	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 5,000/-	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 3,000/-	1.अनुमोदित दर अनुसार 2.राज्य के बाहर से पधारी अन्य विधान मण्डलों की समितियों/सदस्यों के साथ संयुक्त बैठक की दशा में अधिकतम रु0 75/- प्रति व्यक्ति या अनुमोदित विशिष्ट दर अनुसार
8.	विभागाध्यक्ष स्तरीय नियंत्रक अधिकारियों द्वारा चर्चा करने हेतु /बैठक में उपस्थित महानुभावों को चाय ,काफी,शीतल पेय व्यवस्था प्रभार भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन कोई भी सीमा तक	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 5,000/-	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 2,000/-	निर्धारित दर के अनुसार नियमों एवं बजट प्रावधानो के अध्यक्षीन रु0 1,000/-	अनुमोदित सामान्य दर अनुसार
9.	माननीय अध्यक्ष/नेताप्रतिपक्ष एवं उपाध्यक्ष विधान सभा द्वारा स्वैच्छिक अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान का भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-	
10.	माननीय अध्यक्ष/नेताप्रतिपक्ष एवं उपाध्यक्ष विधान सभा के राज्य के अंदर/बाहर की यात्राओं के दौरान आवास/परिवहन एवं अन्य अनुषंगिक व्ययों का भुगतान.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-	

11.	भारतीय संसदीय संघ, मध्यप्रदेश शाखा को माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनानुसार विधान सभा सदस्यों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तरराज्यीय अध्ययन दौरे/सूचना शिविरों/व्याख्यान मालाएं इत्यादि आयोजित करने हेतु सहायक अनुदान की स्वीकृतियां	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	—	—	—	—	
12.	राष्ट्रकुल संसदीय संघ मध्यप्रदेश शाखा को माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अनुमोदनानुसार अनुदान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	—	—	—	—	
13.	संसदीय/विधायी कार्य प्रणाली पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत समाचार/सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रबोधन/प्रतियोगिता/सिंपोजियम प्रदर्शनी/विशेष कार्यक्रम के आयोजनों का आकस्मिक व्यय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 25,000/- सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 10,000/- सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 5,000/- सीमा तक	
14.	संसदीय/विधायी/विधिक एवं संवैधानिक विषयों पर घोषित पुरस्कारों के चयन/अनुशंसा हेतु गठित समितियों के माननीय सदस्यों के आवास,परिवहन एवं यात्रा व्यय,मानदेय का भुगतान तथा विनिश्चित राशि के अनुसार पुरस्कार राशि का भुगतान. (संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, डा.अम्बेडकर स्मृति पुरस्कार गांधी दर्शन पुरस्कार या कोई अन्य पुरस्कार.)	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृति उपरांत कोई भी सीमा तक	—	—	—	
15.	विधायनी पत्रिका का प्रकाशन एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रकाशनों हेतु लेखन सामग्री का क्रय मुद्रण व प्रकाशन व्यय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 25,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	

16.	माननीय अध्यक्ष/संपादक मंडल की स्वीकृति अनुसार विधायिनी पत्रिका में लेख एवं रचनाओं पर लेखकों /अनुवादकों को मानदेय का भुगतान एवं संपादक मण्डल के सदस्यों का आवास व्यवस्था, यात्रा एवं मार्ग व्यय का भुगतान.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	-	-	
17.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय	पुस्तकालय नियमावली के अध्यक्षीन एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	पुस्तकालय नियमावली के अध्यक्षीन एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 2,000/- की सीमा तक	पुस्तकालय समिति नहीं होने की दशा में स्वीकृति अनुसार पुस्तकों का क्रय किया जा सकेगा.
18.	कार्यालयीन उपयोग हेतु संदर्भ पुस्तकों का क्रय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	पुस्तकालय नियमावली के अध्यक्षीन एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 2,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 1000/- की सीमा तक	-
19.	दैनिक समाचार पत्रों, सावधि पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों का क्रय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	पुस्तकालय नियमावली के अध्यक्षीन एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 2,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 1,000/- की सीमा तक	
20.	पुस्तकों की जिल्दबंदी पर व्यय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	पुस्तकालय नियमावली के अध्यक्षीन एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/-की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 1,000/- की सीमा तक	
21.	शासकीय लेखन सामग्री भण्डार से लेखन सामग्री का क्रय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित प्रकाशनों का मुद्रण एवं कार्यालयीन उपयोग हेतु विहित फार्मों की छपाई	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 25,000/-की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	
22.	शासकीय लेखन सामग्री भण्डार से अनुपलब्धता की दशा में डीवीडी, वीसीडी, सीडी, पेन ड्राइव, केसेट्स, लेखन सामग्री, फोल्डर्स, कार्डरेक्स का स्थानीय बाजार से क्रय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 15,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 2,000/- की सीमा तक	संपदा शाखा के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार

23.	डायरियां एवं केलेण्डरर्स का क़य	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 15,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 2,000/- की सीमा तक	स्टेशनरी शाखा के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार
24.	वर्दियों का क़य प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों हेतु	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	-	क़य समिति की अनुशंसा के आधार पर
25.	डाक एवं तार व्यय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 25,000/-की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	
26.	नवीन यंत्र, उपकरण, एवं साधित्र का क़य यथा : कम्प्यूटर एवं उससे संबंधित उपकरण, मल्टीफंक्शन डिवाइज, लेपटॉप, फोटोकापी, फेक्स, रिजोग्राफ, टेलीविजन, कूलर, हीटर, एवं अन्य विद्युत प्रयोजनीय उपकरण इत्यादि	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	-	-	-	रु0 5,000/- से अधिक तथा रु0 1,00,000/- से कम लघु क़य समिति एवं रु0 1,00,000/- से अधिक के संबंध में वृहद वस्तु क़य समिति की अनुशंसा उपरान्त नियमानुसार
27.	नवीन यंत्र, उपकरण, एवं साधित्र के पुर्नस्थापन एवं विद्युत प्रयोजनीय उपकरणों के संधारण, मरम्मत एवं कलपुर्जो पर व्यय, अनुरक्षण संबंधी सेवा प्रभार / सामग्री क़य (यथा: टोनर, कार्टेज, इम, टेफलॉन, रोलर, रीजोग्राफ इंक, इत्यादि.)	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की स्वीकति उपरांत रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की स्वीकति उपरांत रु0 2,000/- की सीमा तक	रु0 5,000/- से अधिक तथा रु0 1,00,000/- से कम लघु क़य समिति एवं रु0 1,00,000/- से अधिक के संबंध में वृहद वस्तु क़य समिति की अनुशंसा उपरान्त नियमानुसार
28.	फर्निचर एवं ऑर्टिकल्स आफ डेड स्टॉक का क़य	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	-	-	-	-
29.	फर्निचर एवं ऑर्टिकल्स ऑफ डेड स्टॉक की मरम्मत एवं आवश्यक पुर्नस्थापन सामग्री का क़य	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की स्वीकति उपरांत रु0 2,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की स्वीकति उपरांत रु0 1,000/- की सीमा तक	-

30.	कार्यालय एवं भवन व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भंगुर एवं खपतनीय भण्डार एवं पेरिसिएबल सामग्री का क्रय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की स्वीकृति उपरांत रु0 5,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की स्वीकृति उपरांत रु0 2,000/- की सीमा तक	संपदा शाखा के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार.
31.	विधान सभा कार्यालय साज सज्जा एवं फर्श व्यवस्था प्रभार / व्यय भुगतान.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 10,000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 5000/- की सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 2000/- की सीमा तक	
32.	विधान सभा भवन परिसर में बिजली एवं जल व्यवस्था प्रभार का भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत रु0 20,000/- की सीमा तक	-	
33.	पुराने और अनुपयोगी डुप्लीकेटर्स , टायपराईटर्स/इलेक्ट्रानिक टाईपराईटरर्स /कम्प्यूटरर्स, /प्रिंटरर्स /लेपटॉप /यूपीएस /मल्टीफंक्शन डिवाइस/स्केनर/फेक्स / फोटोकॉपी मशीन/रीजोग्राफ मशीन एवं अन्य कार्यालयीन /विद्युत प्रयोजनीय जीर्ण शीर्ण, उपकरण पुराने मृत स्कंध भण्डार, जिनकी मरम्मत संभव नहीं निष्प्रयोजनीय घोषित कर नियमानुसार नीलामी/ अपलेखन की कार्यवाही पूर्ण करना.	नियमांतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमांतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमांतर्गत पूर्ण शक्तियां	-	-	क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार
34.	कार्यालय के सुचारु कार्य संचालन हेतु आवश्यक आवर्तक आकस्मिक व्यय की स्वीकृति जो अन्यत्र उल्लिखित नहीं है.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-	-
35.	विधान सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष की सरकारी कारों/ वाहनों के लिए निर्धारित मासिक कोटे के अनुसार एवं मुख्यालय से बाहर दौरो के लिये पीओएल प्रभार भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	-	नियमो एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत उप सचिव (लेखा) किसी भी सीमा तक	-	-
36.	विधान सभा सत्र काल में तथा विधान सभा की समितियों के दौरों में सदस्यों के लिये बसों की व्यवस्था का भाडा तथा समितियों की बैठको के अवसर पर की गई वाहन व्यवस्था के भाडे का भुगतान	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत किसी भी सीमा तक	-	-	-

37.	विधान सभा सत्रों के दौरान शासन विभागों से मंगायी गई गाडियों/वाहनों की सेवाओं का भाड़ा /व्यय एवं अन्य एजेन्सियों से मंगाई गई गाडियों का भाड़ा व्यय.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत किसी भी सीमा तक	-	-	-
38.	माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से वाहनों का क्रय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	-	-	-	-
39.	विधान सभा/विधान सभा सचिवालय के सर्व प्रकार के वाहनों के स्थानीय उपयोग /बाहरी दौरो एवं अनुरक्षण हेतु डीजल,पेट्रोल,आईल,लुब्रिकेन्ट आदि पर व्यय.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत रुपये 50,000/- की सीमा तक	-	-	पी.ओ.एल.विनिश्चित मांग के अनुसार यदि कोई निर्धारित हो.
40.	वाहनों के कलपुर्जों का पुर्नस्थापन एवं वाहन मरम्मत /संधारण/साज-सज्जा /टायर ट्युब एवं बैटरी /सर्विसिंग एवं ओव्हरआईलिंग पर व्यय	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत रुपये 50,000/- की सीमा तक	-	-	
41.	माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनानुसार राष्ट्रकुल संसदीय संघ, सोसायटी आफ वर्ल्डर्स एट द टेबल आफ पार्लियामेंट लंदन के सचिवों की समिति का सदस्यता शुल्क, राष्ट्रकुल संसदीय संघ इंडिया रीजन का सदस्यता शुल्क, राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन भारत में आयोजित होने पर सहयोग राशि का भुगतान, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन हेतु सहयोग राशि का भुगतान इत्यादि.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-	-
42.	माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनानुसार अतिविशिष्ट व्यक्तियों/अतिविशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह/उपहार भेंट की व्यवस्था पर व्यय का भुगतान.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियमों एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी सीमा तक	-	-	-
43.	विधान सभा सदस्यों के लिये सत्रकाल में भोजन की व्यवस्था पर सबसिडी का भुगतान.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	-	-	-	-

44.	विधान सभा सत्रों तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों की बैठकों के लिये सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं पर नियमानुसार देय दैनिक भत्ते एवं यात्रा व्यय / यात्रा भत्ता भुगतान	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित मान के अनुसार	—	नियमों एवं बजट प्रावधान अनुसार उप सचिव (लेखा) किसी भी सीमा तक	—	
45.	विधान सभा सदस्यों को राज्य के भीतर एवं बाहर हॉस्पिटल औषधालयों में इंडोर पेशेन्ट के रूप में उपचार की दशा में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान.	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट आवंटन के अंतर्गत प्रत्येक मामले में नियमानुसार भुगतान	—	अनुमोदन उपरांत किसी भी सीमा तक उप सचिव (लेखा)	—	
46.	मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेताप्रतिपक्ष को शासन द्वारा प्रदत्त वार्षिक परिलब्धियों पर आयकर का भुगतान	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	—	अनुमोदन उपरांत उप सचिव (लेखा) में पूर्ण शक्तियां	—	
47.	विधान सभा एवं विधान सभा सचिवालय के लिये विनिश्चित लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा एवं त्रुटिपूर्ण संग्रहित विविध प्राप्तियां/राजस्व की वापसियों की स्वीकृति	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	—	—	—	
48.	विधान सभा कार्य के अंतर्गत निक्षेपित राशियों की वापसियों की स्वीकृति.	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	—	—	—	—
49.	विधान सभा पदाधिकारियों, विधायकों एवं शासकीय सेवकों को शासकीय कारणवश निरस्त यात्रा टिकट के निरसर व्यय का रेल विभाग द्वारा जारी रिफण्ड व्हाउचर प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिपूर्ति भुगतान	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक	नियम एवं प्रावधान के अंतर्गत रुपये 10,000/—की सीमा तक	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत रु0 5,000/— की सीमा तक	—	शासकीय कार्य लोक हित में उक्त यात्रा निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर
50.	शासकीय कार्य यात्रा पर प्रवास अग्रिम एवं स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम एवं यात्रा अग्रिम की स्वीकृति	नियमों एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियम एवं बजट आवंटन के अध्यक्षीन समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए अग्रिम देयक प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां	नियम एवं बजट के प्रावधान के अनुसार	नियम एवं बजट आवंटन के अध्यक्षीन समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अग्रिम देयक प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां		

51.	शासकीय सेवकों को त्यौहार/अनाज अग्रिम की स्वीकृति	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियम एवं बजट प्रावधान के अध्यक्षीन त्यौहार / अनाज अग्रिम करने की पूर्ण शक्तियां	-	नियम एवं बजट प्रावधान के अध्यक्षीन त्यौहार /अनाज अग्रिम स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां	-	
52.	यात्रा भत्ता देयको पर प्रतिहस्ताक्षर	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट आवंटन के अध्यक्षीन समस्त प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के यात्रा भत्ता देयको पर प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां	नियमो एवं बजट आवंटन के अध्यक्षीन समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयको पर प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां		
53.	अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम/ अवकाश यात्रा रियायत देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट आवंटन के अध्यक्षीन समस्त प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के यात्रा भत्ता देयको पर प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां	नियमो एवं बजट आवंटन के अध्यक्षीन समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयको पर प्रति हस्ताक्षर करने की शक्तियां		
54.	सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/निधन उपरान्त स्वत्वों का भुगतान.	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां	नियमो एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सीमा तक			-	